

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नयुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल) वधियक, 2023

प्रलिस के लयि:

[भारत का चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त \(CEC\), भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संवधान का अनुच्छेद 324](#)

मेन्स के लयि:

मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लयि प्रस्तावति वधियक, इसका महत्त्व और संबंधति चतिाँ

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

राज्यसभा ने हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नयुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यालय की अवधि) वधियक, 2023 को मंजूरी दे दी, जो [मुख्य चुनाव आयुक्त \(CEC\) तथा चुनाव आयुक्तों \(EC\)](#) की नयुक्ति की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है।

- इस कानून का उद्देश्य [अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले, 2023](#) में [भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक नरिदेश](#) के प्रत्युत्तर में नयुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शति लाना है।

CEC और EC की नयुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या है?

- मार्च 2023 में, सर्वोच्च न्यायालय ने CEC और EC की नयुक्ति के संबंध में [संवधान के अंगीकरण](#) के उपरांत एक लंबे समय से चले आ रहे वधियी अंतर को समाप्त करते हुए, स्वतंत्र एवं नषिकष चुनाव सुनिश्चति करने में [भारत के स्वतंत्र नरिवाचन आयोग \(ECI\)](#) की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने संवधानिक लोकतंत्र का समर्थन करने वाले अन्य संस्थानों की ओर ध्यान आकर्षति कथिा जनिके पास अपने प्रमुखों/सदस्यों की नयुक्ति के लयि स्वतंत्र तंत्र है।
 - [राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अनवेषण ब्यूरो \(CBI\), सूचना आयोग और लोकपाल](#) जैसे उदाहरणों का उल्लेख कथिा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव सुधार पर [दनिश गोसवामी समति \(1990\)](#) और चुनाव सुधार पर वधिआयोग की 255वीं रपिर्ट (2015) की सफिरशियों पर गौर कथिा।
 - दोनों समतियों ने CEC और EC की नयुक्ति के लयि [प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश \(CJI\)](#) और वपिकष के नेता की एक [समति](#) का सुझाव दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने [अनुच्छेद 142](#) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए (किसी भी मामले में 'पूर्ण न्याय' हेतु नरिदेश जारी करने के लयि) नरिधारति कथिा कि CEC और EC की नयुक्ति [प्रधानमंत्री, CJI और नेता की एक समति](#) या लोकसभा में सबसे बड़े वपिकषी दल द्वारा की जाएगी।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया कथिह तंत्र तब तक लागू रहेगा जब तक संसद इस मामले पर कानून नहीं बना देती।

वधियक के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- यह वधियक चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधनियिम, 1991 का स्थान लेता है।
- यह CEC और ECs की नयुक्ति, वेतन एवं नषिकासन से संबंधति है।
 - नयुक्ति प्रक्रिया:
 - CEC और EC की नयुक्ति चयन समति की सफिरशि पर [राष्ट्रपति](#) द्वारा की जाएगी।
 - सदस्य के रूप में लोकसभा में वपिकष का नेता, यदि लोकसभा में वपिकष के नेता को मान्यता नहीं दी गई है, तो

लोकसभा में सबसे बड़े वपिक्षी दल का नेता शामिल होगा।

- इस समिति में कोई पद रकित होने पर भी चयन समिति की सफारिशें मान्य होंगी।
- वधियक में CEC और EC के पदों पर वचिार करने के लिये पाँच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने हेतु एक खोज समिति (Search Committee) की स्थापना का प्रस्ताव है।
 - खोज समिति की अध्यक्षता **कैबनेट सचिव** करेंगे और इसमें सचिव के पद से नमिन पद वाले दो सदस्य भी शामिल होंगे जिनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान तथा अनुभव होगा।
- वेतन एवं शर्तों में परिवर्तन:
 - CEC और ECs का वेतन एवं सेवा शर्तें **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश** के सामान होंगी।
- हटाने/नषिकासन की प्रक्रिया:
 - यह बलि संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 324 (5)) को बरकरार रखता है जो CEC को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह नषिकासन की अनुमति देता है, जबकि EC को केवल CEC की अनुशंसा पर हटाया जा सकता है।
- CEC और EC के लिये संरक्षण:
 - बलि, CEC और EC को उनके कार्यकाल के दौरान की गई कार्रवाई से संबंधित कानूनी कार्यवाही से बचाता है, बशर्ते कि इस तरह की कार्रवाई आधिकारिक कर्तव्यों के नरिवहन में की गई हो।
 - संशोधन का उद्देश्य इन अधिकारियों को उनके आधिकारिक कार्यों से संबंधित सविलि या आपराधिक कार्यवाही से बचाव करना है।

वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त किस प्रकार नियुक्त किये जाते हैं?

■ संवैधानिक प्रावधान:

- संवैधानिक भाग XV (चुनाव) में सरिफ 5 अनुच्छेद (324-329) हैं।
- संवैधानिक CEC और EC की नियुक्ति के लिये एक वशिष्ट वधियायी प्रक्रिया नरिधारित नहीं करता है।
- संवैधानिक अनुच्छेद 324 मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की ऐसी संख्या, यदि कोई हो, से मलिकर बने चुनाव आयोग में 'चुनावों का अधीक्षण, नरिदेशन एवं नरिंतरण' नरिहित करता है, जसि राष्ट्रपति समय-समय पर तय करें।
 - राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले संघ परिषद् की सलाह पर इनकी नियुक्ति करते हैं।
 - वधिा मंत्री वचिार के लिये प्रधानमंत्री को उपयुक्त उम्मीदवारों के एक नकियाय का सुझाव देते हैं। राष्ट्रपति PM की सलाह पर नियुक्ति करते हैं।

■ नषिकासन:

- वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी उन्हें हटाया जा सकता है।
- CEC को केवल संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामान नषिकासन की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।
- CEC की अनुशंसा को छोड़कर किसी भी अन्य EC को नषिकासन नहीं किया जा सकता है।

वधियक से संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

■ पारदर्शिता और स्वतंत्रता:

- रकित होने पर भी चयन/प्रवरण समिति की अनुशंसाओं को मान्य रखने से कुछ परिस्थितियों के दौरान सत्ता दल के सदस्यों का एकाधिकार हो सकता है, जसिसे समिति की वविधिता एवं स्वतंत्रता कमजोर हो सकती है।

■ न्यायिक बेंचमार्क से कार्यपालिका नरिंतरण में परिवर्तन:

- CEC तथा EC के वेतन को मंत्रिमंडल सचिव के सामान करना, जनिका वेतन कार्यपालिका द्वारा नरिधारित किया जाता है, संभावित सरकारी प्रभाव के बारे में सवाल उठाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के वपिरित, जो संसद के एक अधिनियम द्वारा तय किया जाता है, यह उक्त परिवर्तन नरिवाचन आयोग की ववित्तीय स्वतंत्रता को संकट में डाल सकता है।

■ सविलि सेवकों के लिये पात्रता सीमति करना:

- केवल सरकार के सचिव के समकक्ष पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिये पात्रता को सीमति करने से संभावित रूप से योग्य उम्मीदवार बाहर हो सकते हैं, जसिसे EC में पृष्ठभूमि तथा वशिषज्जता की वविधिता सीमति हो सकती है।

■ समतुल्यता की कमी से संबंधित चिंताएँ:

- यह वधियक उस संवैधानिक उपबंध को बनाए रखता है जो CEC को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही नषिकासन करने की अनुमति देता है, जबकि EC को केवल CEC की सफारिश पर ही नषिकासन किया जा सकता है।
 - नषिकासन प्रक्रियाओं में समतुल्यता की कमी नषिपक्षता पर सवाल उठा सकती है।

चुनावी नकियाय के सदस्यों की नियुक्ति में वैश्विक प्रथाएँ

■ दक्षिण अफ्रीकी मॉडल:

- दक्षिण अफ्रीका में, चयन प्रक्रिया में संवैधानिक न्यायालय के अध्यक्ष, मानवाधिकार न्यायालय के प्रतिनिधि और लैंगिक समानता के समर्थक जैसे प्रमुख व्यक्तियों शामिल होते हैं।

- वविधि प्रतनिधित्व पर जोर चुनावी निकाय में व्यापक परपिरेक्ष्य सुनश्चिति करता है ।
- यूनाइटेड कगिडम दृष्टकिणः
 - यूनाइटेड कगिडम में, चुनावी निकाय के उम्मीदवार हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अनुमोदन के अधीन हैं ।
 - चयन प्रक्रया में वधायिका को शामिल करने से इसे जाँच और जवाबदेही का अतरिकित स्तर मलिता है ।
- संयुक्त राज्य प्रक्रयाः
 - अमेरिका में, राष्ट्रपति चुनावी निकाय में सदस्यों की नयुक्तिकरता है, और नयुक्तियों के लयि सीनेट द्वारा पुष्टि की आवश्यकता होती है ।
 - दोहरी जाँच प्रणाली शक्तिसंतुलन सुनश्चिति करती है और एकतरफा नरिण्यों को रोकती है ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयिः (2017)

1. भारत का चुनाव आयोग पाँच सदस्यीय निकाय है ।
2. संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लयि चुनाव कार्यक्रम तय करता है ।
3. नरिवाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलिय से संबंधति वविाद नपिटाता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तरः (d)

??????:

प्रश्न. भारत में लोकतंत्र की गुणता बढाने के लयि भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दया है । सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे कसि सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं? (2017)